रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042022-235054
CG-DL-E-12042022-235054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1679] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
No. 1679] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 1765(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा गया है) के साथ पठित और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 247 (ई) दिनांक 8 फरवरी, 2012 तथा अधिसूचना संख्या का.आ. 116(ई) दिनांक 07 जनवरी, 2013 का अधिक्रमण करते हुए और अधिसूचना संख्या 20 48(ई) दिनांक 23 अगस्त, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना का.आ. 1141(ई) दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत मेसर्स आईआरबी हापुड़-मुरादाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (नया एनएच-9) के हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद सेक्शन के हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद सेक्शन सहित जिसमें किमी 50.000 (डिज़ाइन चैनेज किमी 50.000) से किमी 148.277 (डिज़ाइन चैनेज किमी 149.867) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त खंड" कहा गया है) तक हापुड़ बाइपास भी शामिल है, तक हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद सेक्शन के छह लेन के विकास के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर और किमी 148.277 से किमी 149.250 (मौजूदा फ्लाईओवर सहित) के प्रचालन और अनुरक्षण (उन्नत किए जाने का प्रस्ताव नहीं) हेतु शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है।

अब केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1141(ई) दिनांक 07 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

अधिसूचना के पैरा 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"4. अनुबंध के अनुसार परियोजना के निर्धारित पूर्ण होने की तिथि और परियोजना के वास्तविक समापन की तिथि, यदि इसमें देरी हो रही है, के बीच विलंबित अवधि के लिए कोई प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, परियोजना के किसी भी अनंतिम समापन को परियोजना के पूर्ण होने के रूप में नहीं माना जाएगा।"

[फा. सं. 42013/4/2020-यूपी (डबल्यू)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 1765(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the Notification bearing no. S.O. 247 (E) dated 8th February, 2012 and Notification bearing S.O. 116(E) dated 07th January, 2013 and in partial modification of Notification bearing no. S.O. 20 48(E) dated 23rd August, 2012, the Central Government, vide notification S.O. 1141(E) dated 07th March, 2019, authorized M/s IRB Hapur - Moradabad Tollway Private Limited to collect and retain the fee for the development of Six-laning of Hapur bypass to Moradabad section including Hapur Bypass to Moradabad section including Hapur bypass from Km 50.000 (Design Ch. Km 50.000) to Km 148.277 (Design Ch. Km 149.867) (hereinafter referred to as the "said section") of the National Highway No. 24 (New NH -9) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis and Operation and Maintenance (not proposed to be upgraded) from km 148.277 to km 149.250 (incl. existing flyover).

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 1141(E) dated 07th March, 2019:-

Para 4 of the notification shall be read as follows:

"4. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion as per agreement and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project."

[F. No. 42013/4/2020-UP(W)]

AMIT VARADAN, Jt.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.12 19:30:50 +05'30'